प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .....
   प्र0इ0रि0 सं. 52/22 दिनांक. 17/2/22

2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018 यथा संशोधित 2018..... धारायें. 7
   (II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें 120 बी
   (III) 'अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 370 ..... समय . 7.45 P.M.
   (ब) अपराध घटने की दिनांक 16.02.2022 समय 11.20 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– मकान नम्बर 104 सैक्टर 4 इंदिरा गांधी नगर नियर कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर जयपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–उत्तर पूर्व– दूरी लगभग 10 किलोमीटर
   (ब) 'पता .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री बाबूलाल श्री बाबूलाल शर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम श्री भगवान सहाय शर्मा
   (स) जन्म तिथि/वर्ष 50 वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –प्राईवेट कार्य
   (ल) पता गांव हरनेल तहसील एवं पुलिस थाना थानांगाजी जिला अलवर

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी देव खेड़ा जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर।

2– श्री रामकिशोर मीणा पुत्र स्व. श्री रामकुमार मीणा उम्र 39 साल निवासी गॉव मीणा वाला भोठड़ा कॉलोनी सिरसी रोड़, पुलिस थाना करणी विहार जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जगतपुरा जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 30000/–रूपयें।
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि दिनांक 15.02.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा उम्र 50 वर्ष पेशा ट्रांसपोर्ट कार्य निवासी गांव हरनेल तहसील एवं पुलिस थाना थानांगाजी जिला अलवर ने एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू प्रथम को सम्बोधित करते हुए उप अधीक्षक पुलिस एस.यू.प्रथम जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की प्रस्तुत की कि सेवा में,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SU1 Unit भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (राज.) विषयः– मेरे क्रय शुदा मकान की रजिस्ट्री के दस्तावेज के प्रमाणिकरण की एवज में हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता व कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की रिपोर्ट देने के कम में। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि में प्रार्थी बाबूलाल शर्मा निवासी हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर का रहने वाला हू। मेने सन 2017 में दो मकान हाउसिंग बोर्ड के रामाकृष्णपुरम कोटपूतली में नम्बर 2G1 व 2G2 खरीदे थे श्री अजय माथुर व विष्णु शर्मा से क्रय किये थे जिसका नियमतिकरण एव अदेय प्रमाण पत्र राजस्थान आवासन

मण्डल जयपुर द्वारा जारी कर दिये गये थे अब उक्त दोनो मकानो को मुझे बेचान करना है जिसके लिए उक्त मकानो की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कोटपूतली द्वारा होनी है। उक्त रजिस्ट्री के लिए मेने आवश्यक दस्तावेजात शपथ पत्र राजस्थान हाउसिग बोर्ड का form no-8 व E challan GR NO -0058786635 GR NO-00587859 दिनांक 14.02.2022 को जमा करा दिया है व शुल्क की 1300+1300रूपये जमा करा दिये है उक्त दस्तावेजात के आधार पर ही राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा रजि. का format तैयार किया जाकर आवासन मण्डल द्वारा रजिस्ट्रार कोटपूतली को प्रेषित किया जाता है मेरे द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज लेकर जब में राजस्थान आवासन मण्डल में आज पहुँचा वहा पर पदस्थापित आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल श्री आर के मीणा ने बोला की यह काम ऐसे नही होता आप मोहनसिंह सहायक कर्मचारी से मिल लो जिस पर मे मोहनसिंह सहायक कर्मचारी से मिला तो उसने आवासीय अभिंयन्ता के लिये 30000हजार रूपये रिश्वत की मांग की में यह रिश्वत नही देना चाहता रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री आर के मीणा व श्री मोहन सिंह से कोई व्यक्ति रजिंश नही है। ना ही उक्त दोनो से कोई उधार का लेनदेन शेष है। कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करे।दिनांक 15.012.2022 भवदीय एसडी बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व श्री भगवान सहाय शर्मा जाति ब्राहम्ण हरनेर थानागाजी अलवर मो. 9950340691.

उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये व्यक्ति का परिचय परिवादी बाबूलाल शर्मा सें करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्सवाही का पृष्ठाकन कर कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जाने पर परिवादी का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी। परिवादी से मजिद दरियाफ्त की जाने पर उक्त रिपोर्ट हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पढकर सुनाई जाने पर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पूर्ण जानकारी व सही होना स्वीकार किया गया परिवादी ने बताया कि मैंने दो मकान राजस्थान आवासन मण्डल के श्री अजय माथुर व विष्णु शर्मा से क्रय किये थे उक्त मकानो को बैचान करने हेतु रजिस्ट्री की आवश्यकता है उक्त मकानो का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी किया जा चुका है। उक्त मकानों की रजिस्ट्री हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फोर्मेट तैयार करके रजिस्ट्रार कोटपूतली को भेजा जाना है जिसका मैने रजिस्ट्रार कोटपूतली के नाम ई चालान की शुल्क भी जमा करवा दी है। अब राजस्थान आवासन मण्डल में मेरी तरफ से कोई शुल्क अदायगी शेष नहीं है। उक्त फोर्मेट को जारी करने के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम श्री आर.के.मीणा,श्री मोहन सिंह कार्यालय सहायक द्वारा मिलकर मेरे से 30000/—रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। आज दिनांक 15.02.2021 को मैं उनसे मिला तो मेरी से आज श्री आर.के.मीणा ने श्री मोहन सिंह से मिलने के लिये कहॉ तो उक्त रिश्वत राशि की मांग की गयी है। मैं उक्त दोनों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हू। रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी उक्त दोनों से कोई आपसी रंजिश व आपसी लेनदेन शेष नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने से कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी बाबूलाल शर्मा को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की विधि व संचालन तथा रखरखाव की विधि समझाई जाकर कानिस्टेबल श्री अनोख कुमार कानि. न.161 को कार्यालय में बुलाया जाकर परिवादी से एक दूसरे का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी पृथक से मूर्तिब कर सुपुर्द कर शामिल कार्रवाई की गयी श्री अनोख कुमार कानि को परिवादी के साथ सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

कुछ समय पश्चात श्री अनोख कुमार कानि मय परिवादी बाबूलाल शर्मा के सत्यापन में गये हुये उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। श्री अनोख कानि. ने बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के साथ उसकी कार में उसके पुत्र के साथ राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर 4 इन्दिरा गॉधी नगर जगतपुरा जयपुर के बाहर पहुँचकर परिवादी ने अपनी कार में अपने पुत्र को छोडकर परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर हम दोनों उक्त कार्यालय में श्री मोहन सिंह के पास गये। जिसने जाते ही परिवादी से मेरे बारे में पूछा गया व मोहन सिह ने परिवादी बाबूलाल को श्री आर.के.मीणा के चेम्बर में लेकर गया व मुझे बाहर खडा रहने के लिये बोला गया। कुछ समय पश्चात बातचीत करके परिवादी व मोहन सिंह बाहर आ गयें। इसके पश्चात परिवादी को मोहन सिंह बाहर चाय की दुकान पर ले गया था जहॉ पर दोनों के द्वारा चाय पीते हुए रिश्वत राशि की बातचीत की गयी तथा मैं पीछे से सब देख रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी बातचीत करके मेरे पास आ गया तथा गाडी के पास आने पर श्री मोहन सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की बातचीत की गयी। परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया। इसके पश्चात परिवादी ने श्री अनोख कुमार कानि. की बातो की ताईद करते हुए बताया कि कार्यालय से मैं व अनोख कानि. आवासन मण्डल के जगतपुरा कार्यालय में चले गये जहॉ पर अनोख कानि. को मैने मेरा बैग देकर मेरे साथ लेकर उक्त कार्यालय में प्रवेश करने पर श्री मोहन सिंह मुझे मिला जिसने मेरे से बातचीत करके श्री अनोख कानि. के बारे में पूछा तो मैने मेरा साडू होना बताया तथा मुझे आर.के मीणा के कार्यालय में अपने साथ लेकर गया व अनोख कानि. को बाहर ही रहने दिया गया। मेरे से आर.के मीणा ने उनके कार्यालय कक्ष के अन्दर शपथ पत्र,आधार कार्ड की कॉपी,हाउसिंग बोर्ड का फार्म नम्बर 8,पेन कार्ड की कापी,ई—चालान व 16 फोटो दो प्रतियों में ले लिये तथा अपने पास रख लिये। मेरे से आर.के.मीणा द्वारा श्री मोहन सिह से मिलने के लिये कहने पर हम दोनों बाहर आ गये तथा मुझे मोहन सिंह ने चाय की दुकान पर ले जाकर मेरे कार्य के लिये 10000/—रूपयें की रिश्वत स्वयं के लिये व 20000/—रूपये की रिश्वत राशि श्री आर.के.